हुक्म या कार्यवाही मय अनैशनाल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली [illegible] को पेश हो। 11.12	...

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षी अनुपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही, वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई, बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्त दुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया, विवादित आराजियात ग्राम गोकुलपुरा पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थीगण के पिता का नाम नजु अंकित कर दिया गया जब कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम नगजीराम है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम नजु न होकर नगजीराम है, जिसकी ताईद प्रार्थीगण के राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र आदि से होती है। उसी के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहते है ताकि राजस्व रेकार्ड मे दुरुस्त किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.13 17:08:58 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ग्राम गोकलपुरा पटवार हल्का गोमलियास तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा के खाता संख्या 57 मे आराजी नं॰ 667, 678, 502, 562, 563, 575, 577, 578, 581, 600, 603, 605, 606, 661, 662, 663, 664, 667, 670, 671, 674, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 844 कुल किता 31 कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम जस्ता, भोजा, पानी, देऊ, बाली, हिर पिता नजु, जेती पत्नी नजु के बजाय जसाराम पिता नगजीराम, भोजा पिता नगजीराम, पानी पुत्री नगजीराम, देऊ पुत्री नगजीराम बाली पुत्री नगजीराम, हीरी पुत्री नगजीराम, जेती पत्नी नगजीराम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.13 17:08:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner